

मुख्य वन संरक्षक/चौकल अधिकारी,
उमना, लखनऊ ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रैजुकेट
वन प्रभाग की 103.6750 हे. आरक्षित वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे.
आरक्षित वन भूमि अधीन कुल 127.1637 हे. आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की
अनुमति हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

संदर्भ:- आपका पत्र संख्या-383/11-सी, FP/UP/IRRIG/20269/2016 दिनांक 10.08.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा रैजुकेट एवं ओबरा वन प्रभाग का समीकृत प्रस्ताव के
परीक्षणोपरान्त रैजुकेट वन प्रभाग की 06 बिन्सु एवं ओबरा वन प्रभाग की 05 बिन्सु की कमियाँ के
निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रैजुकेट एवं ओबरा वन
प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्र संख्या-कमरा-824/रैजुकेट/15-117, दिनांक 06.09.2017 एवं पत्रांक-
9टी0सी0/ओबरा/15 दिनांक 04.09.2017 द्वारा अपने प्रभाग से सम्बन्धित उल्लिखित बिन्सुओं का
निराकरण कर टैबुलर काम में इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है :-

क.सं.	मुख्य वन संरक्षक/चौकल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियाँ	आपत्ति का निराकरण
1	प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि पर पुनः 08 वर्ष का अनुसंधान सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है। कृपया प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि का अनुसंधान सहित वनीकरण योजना का प्राक्कलन आनलाइन अपलोड करें तथा आनलाइन भाग-2 सहित प्रकृत वन भूमि का विवरण भी फाइल करें।	इस बिन्सु के अनुपालन में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि का अनुसंधान सहित वनीकरण योजना का प्राक्कलन आनलाइन अपलोड करें तथा आनलाइन भाग-2 सहित प्रकृत वन भूमि का विवरण भी फाइल करें।
2	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु वर्धन स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की टोपोग्राफिक स्थल है किन्तु शीर्षक व लीजोड पुनः अधिक नही किया गया है।	इस बिन्सु के अनुपालन में संलग्न टोपोग्राफिक एवं प्रस्तावक अधिकरण द्वारा शीर्षक व लीजोड अधिक कर दिया गया है।
3	इको-बल-3 के अनुसार एन0पी0बी0 की गणना संलग्न है किन्तु दर पुनः रैजिफाई आगोश की गई है। अतः इको बल3 एवं रैजिफाई धनत्व 0.3 के अनुसार निर्धारित दर रु. 6,26,000 रुपये प्रति हे0 की दर से गणना संलग्न करें।	इस बिन्सु के अनुपालन में अवगत कराना है कि पूर्व में रैजिफाई धनत्व रैजिफाई अधिक हो गया था, जिसे संशोधित करते हुए 0.8 कर दिया गया है। रैजिफाई धनत्व के अनुसार एन0पी0बी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न है।

(होममाकर दूरी)
मुल्य वन संरक्षक,
भीरजापुर क्षेत्र, भीरजापुर

1. प्रतिलिपि प्रमाणीय वनाधिकारी, रेगुलर एवं ओवर वन प्रमाण की संप्रतिष्ठा प्रेषित ।
2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, कन्हार निर्माण खण्ड - वैदीय, पिपरी, सोनमद उड्डो की संप्रतिष्ठा एवं आवश्यक कायदाही हेतु प्रेषित ।

संख्या अ/समदिनांक
मुल्य वन संरक्षक,
भीरजापुर क्षेत्र, भीरजापुर
(होममाकर दूरी)
23/9/17

भवदीय

संलग्नक-उपरीकाजुसार।

आवश्यक कायदाही हेतु प्रेषित ।
अतः उपरोक्त बिन्दुओं की प्रमाणवार आपत्ति का निराकरण कर मध्य अभिलेखी सहित संलग्नक

1	प्रस्ताव में दूरी की संलग्न सूची में कोन रेखा की दो दूरी की सूची पुनः संलग्न नहीं की गयी है।	प्रस्ताव में दूरी की संलग्न सूची में कोन रेखा की दो दूरी की सूची पुनः संलग्न नहीं की गयी है। अतः दूरी की सूची पुनः संलग्न कर दिया गया है।
2	इकी बलास-3 के अनुसार एनोपीओ की गणना संलग्न है, किन्तु दर पुनः इतिरूप आगोचर की गयी है। अतः इकी बलास-3 एवं हरियाली का घनत्व 0.3 के अनुसार निर्धारित दर 626000.00 रुपये प्रति हे० की दर से गणना संलग्न करें।	इकी बलास-3 के अनुसार एनोपीओ की गणना संलग्न है। एनोपीओ की गणना संलग्न है।
3	आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-3 District wise area to be diverted in the division में Nil फीड कर दिया गया है, जो इतिरूप है। अतः विवरण फीड करें।	आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-3 District wise area to be diverted in the division का विवरण फीड कर दिया गया है।
4	आनलाइन भाग-2 Additional information details में अपलोड किए गये प्रमाण-पत्रों का नाम Remarks Column में अंकित नहीं किया गया है।	आनलाइन भाग-2 Additional information details में अपलोड किए गये प्रमाण-पत्रों का नाम Remarks Column में अंकित कर दिया गया है।
5	आनलाइन प्रस्ताव का पार्ट-2 अपेक्षा नहीं हो रहा है।	आनलाइन प्रस्ताव का पार्ट-2 अपेक्षा हो रहा है।

अधिर वन प्रमाण -

4	आनलाइन भाग-2, Additional information details में अपलोड किए गये प्रमाण पत्रों का नाम Remark Column में अंकित नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक द्वारा अतिरिक्त सूचना आनलाइन भाग-2 में अपलोड करते हुए अपूर्णित कारण में अंकित कर दिया गया है।
5	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा पूर्ण परियोजना से संबंधित जस्टिफिकेशन टिप्पणी पुनः प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक द्वारा परियोजना से संबंधित जस्टिफिकेशन टिप्पणी संलग्न कर दी गयी है।
6	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में पूर्ण परियोजना का लानल-लाम के साथ संलग्न नहीं किया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक अधिकरण द्वारा परियोजना का लानल-लाम विवरण संलग्न कर दिया गया है।